

प्रेस विज्ञापि  
थाना सिधारी

हत्या के प्रयास में 02 अभियुक्त 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार

दिनांक 01.11.2020 को वादी मुकदमा विकास यादव पुत्र घरभरन यादव सा0 राउतमऊ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर लिखित तहरीर दिये जिसमें दिनांक 01.11.20 को समय 3.30 बजे लगभग गांव के ही जितेन्द्र सिंह पुत्र अज्ञात ,विशाल सिंह पुत्र संतोष सिंह , बन्टी सिंह पुत्र पचास सिंह व तीन चार लोग नाम पता अज्ञात द्वारा वादी के खेत में एक लठा घुसकर जुताई करने से मना करने पर ललकराते हुए तथा विशाल सिंह द्वार अपने साथ लिये गये लाइसेंसी बंदूक से जान मारने की नियत से फायर करना , जिससे वादी के भाई आशीष यादव , अरुण यादव , बहन सीमा यादव व पिता घरभरन को गोली लग जाना तथा लहुलुहान होकर गिर जाना तथा घर पर चढकर वादी की माँ मुनाकी देवी को मारना पिटना गालीगुप्ता देना तथा जान मारने की धमकी देने के संबध में दाखिल तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 190/20 धारा 147/148/149/307/323/504/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर लगातार तलाश की जा रही थी।

**पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा वांछित , इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर डा0 राजेश तिवारी के कुशल निर्देशन प्र0नि0 मय हमराह कर्म0 गण के थाना हाजा से रवाना होकर देख-भाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व पेडिंग विवेचना मु0अ0सं0 190/20 में विवेचना व अभि0गण की तलाश में हाईडिल चौराहे पर मौजूद थे कि जरीये मुखबीर सूचना मिली की गोली चलाने वाला अभि युक्त अपने दरवाजे पर लाइसेंसी बंदूक के साथ खड़ा है कही भागने के फिराक में है इस सूचना पर विश्वास करके मय हमराही व मुखबीर के ग्राम राउतमऊ पहुँच कर अभि युक्तगण 1. विशाल सिंह पुत्र संतोष सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष व जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 नौजादी सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 11.45 बजे बजासा बकायदा हिरासत पुलिस में लिया गया ताथा अभि युक्त जितेन्द्र कुमार सिंह के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी असलहा बरामद किया गया । अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. विशाल सिंह पुत्र संतोष सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष
2. जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 नौजादी सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 190/2020 धारा 147/148/149/307/323/504/506 भादवि व

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त विशाल सिंह पुत्र संतोष सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष

1. मु0अ0सं0 190/2020 धारा 147/148/149/307/323/504/506 भादवि

आपराधिक इतिहास-

जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 नौजादी सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 343/90 धारा 147/148/149/307/302 भादवि
2. मु0अ0सं0 190/2020 धारा 147/148/149/307/323/504/506 भादवि

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त एक अदद लाइसेंसी असलहा अभि0 जितेन्द्र सिंह का (DBBL गन) 89/32 A/9- 1970 बरामद किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. प्र0नि0 विनय कुमार मिश्र थाना सिधारी आजमगढ़
2. उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
3. हे0का0 रामप्रकाश चौधरी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
4. का0 अमलेश कुमार सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
5. का0 मनीष कुमार थाना सिधारी आजमगढ़
6. का0 अजीत कुमार गौड़ थाना सिधारी आजमगढ़

7. का0 ऐनुद्दीन फारुकी थाना सिधारी आजमगढ़
8. हे0का0 विनोद दुबे थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

### थाना सिधारी

#### 3 किलो 300 ग्राम गाजा व एक अदद कट्टा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ के 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 02.11.2020 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित, इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर डा0 राजेश तिवारी के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी सिधारी के नेतृत्व में उ.नि. राजेन्द्र प्रसाद सिंह मय हमराह द्वारा आज दिनांक 02.11.2020 को क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक लाल रंग की स्कूटी से 2 व्यक्ति तमंचा व गांजा लेकर 20 वीं वाहिनी पीएसी की तरफ जाने के लिए आ रहे हैं ये हमेशा यही काम करते हैं। और यह कार्य अक्सर भोर में ही करते हैं। मुखबिर की बात का विश्वास करके पुलिस टीम बैठौली तिराहे पर पहुंचकर, जीप को दौलतपुर पुलिया के पास आड़ में खड़ा करके नदी पुलिया दौलतपुर से 02 व्यक्ति पकड़े गए। नाम पता पूछने पर अपना नाम 1. अनिल सोनकर पुत्र भीम उर्फ भोला सोनकर सा0 तिवारीपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ व 2. राहुल कुमार पुत्र स्यामलाल सा0 हरवंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष बताया तथा जामा तलाशी से अभियुक्त अनिल सोनकर के पास से 3 किग्रा 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया तथा अभियुक्त राहुल कुमार के पास से एक अदद कट्टा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्तगण को करीब 06.00 बजे गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 191 /20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम राहुल कुमार व मु0अ0सं0 192/20 धारा धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 बनाम अनिल सोनकर पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

**पुछताछ का विवरण**—अभियुक्त अनिल सोनकर पुत्र भीम उर्फ भोला सोनकर सा0 तिवारीपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ पुछताछ पर बताया गया कि साहब गलती हो गयी। माफ कर दीजिए गरीब आदमी हूँ झोले में गाजा लिया हूँ घूम फिर कर बेचकर परिवार का जीविकोपार्जन करता हूँ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. अनिल सोनकर पुत्र भीम उर्फ भोला सोनकर सा0 तिवारीपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष
2. राहुल कुमार पुत्र स्यामलाल सा0 हरवंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष

#### **पंजीकृत अभियोग** –

1. मु0अ0सं0 191 /20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम राहुल कुमार
2. मु0अ0सं0 192/20 धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 बनाम अनिल सोनकर

#### **आपराधिक इतिहास**— अनिल सोनकर

1. मु.अ.स.178/20 धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 थाना सिधारी
2. मु0अ0सं0 192/20 धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 बनाम अनिल सोनकर

#### **बरामदगी** –

3 किलो 300 ग्राम गाजा व एक अदद कट्टा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

#### **गिरफ्तारी करने वाली टीम गिरफ्तारी करने वाली टीम** –

1. उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
2. हे0का0 राप्रकाश चौधरी थाना सिधारी आजमगढ़
3. का0 अमलेश सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
4. का0 नीरज कुमार थाना सिधारी आजमगढ़
6. का0 राजेश कुमार थाना सिधारी आजमगढ़